63

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

अ.ग.–134/–I–16

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015–16

आवेदक निगरानीकर्ता : अरूण कुमार जती, आत्मज श्री त्रिलोक चन्द्र जती, उम्र–लगभग 42 वर्ष, निवासी–मझौली, तहसील मझौली, जिला जबलपुर (म. प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदक/निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 536/बी–121/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2016 एवं अपर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 17/बी–121/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2006 एवं विचारण न्यायायल अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 2553/बी–121/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2005 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत् प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता मझौली, तहसील मझौली, जिला जबलपुर (म.प्र.) का स्थायी निवासी है ।

2. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक आवेदन विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के समक्ष दिनांक 15.03.2001 को प्रस्तत कर निवेदन किया गया कि मौजा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1341/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-6-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 536/बी–121/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिहौरा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मझौली वर्तमान प.ह.नं.49/21 खसरा नं.364/1क रकवा 0.128 में से 137×66 = 9042 वर्गफुट भूमि पर आवेदक वर्ष 1946 से माल गुजारी पट्टा दिनांक 24.07.1946 के आधार पर काबिज हैं। उक्त भूमि पूर्व में मझौली के मालगुजार सिंघई दालचन्द की थी तथा मालगुज़ार से उक्त भूमि वर्तमान आवेदक के दादा स्व0 श्री छबलाल जती द्वारा 150/–रूपये में क्रय की गयी थी। क्रय करने के पश्चात् आवेदक के पूर्वजों द्वारा मकान निर्माण किया जाकर निवास किया जाने लगा तथा राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वजों का नाम खसरे के कॉलम नं.12 में कब्जेदारी के रूप में दर्ज हो गया। उक्त प्रश्नाधीन	

भूमि के वर्ष 1955 से 2003 तक खसरे संलग्न किये हैं। वर्तमान में भी आवेदक उसी पैत्रिक मकान में निवासरत् हैं। इसी बीच वर्ष 1951–52 आवेदक के आजा के उक्त भूमि का अतिक्रमण होने संबंधी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी सिहौरा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जो प्रकरण क्रमांक 1UHVII/5 of 1950-51 के रूप में दर्ज किया जाकर प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 23.07.1952 में किया गया, जिसमें उक्त भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा नहीं माना जाकर शिकायकर्त्ता का प्रकरण निरस्त कर दिया गया। वर्ष 1946 से वर्तमान तक आवेदक का कब्जा उक्त भूमि पर भवन पर निर्वाद रूप से चला आ रहा है, इसी बीच उक्त मकान की स्थिति जीर्ण–झीर्ण होने के होने कारण उक्त मकान के हिस्से को तोड़कर उसमें पुनः निर्माण की कार्यवाही की जाने लगी। तब तहसीलदार मझौली द्वारा आवेदक को उक्त मकान निर्माण किये जाने से रोके जाने पर आवेदक द्वारा उक्त भूमि एवं मकान के संबंध में दस्तावेज की तलाश की गयी तब उसे उक्त भूमि के मालगुजारी पट्टा एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त हुये, जिसके आधार पर आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। जो प्रकरण क्रमांक 2553/बी–121/ 2004–05 दर्ज किया जाकर प्रकरण में नायब तहसीलदार मझौली (पोंडा) को प्रतिवेदन हेतु प्रेषित किया गया। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन तलब किया गया तथा हल्का पटवारी द्वारा अपना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पंचनामा सहित प्रस्तुत किया। जिसको नजरअंदाज कर अनुविभागीय अधिकारी सीहोरा द्वारा आदेश दिनांक

10.05.2005 को आदेश पारित करते हुए आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वर्तमान में पट्टा जारी करने संबंधी शासन से कोई निर्देश नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 17/बी–121/05 –06 दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 04.02.06 को निरस्त कर दिया गया, इसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रकरण क्रमांक 536/ बी–121/05–06 प्रस्तुत की गयी, जो अंतिम आदेश दिनांक 13.06.2016 से प्रकरण के गुण–दोषों पर निराकरण न करते हुए निरस्त कर दी गयी। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदक की ओर से संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किये हैं, जो त्रुटिपूर्ण हैं। आवेदक के पूर्वजों को भूतपूर्व मालगुजार सिंघई दालचन्द द्वारा ग्राम मझौली वर्तमान प.ह.नं.49/21 खसरा नं.364/1 (क) 137X66 वर्गफुट जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वज छबलाल जती पिता भागीरथ चौधरी के नाम से कब्जेदार के रूप में दर्ज रही है। उक्त भूमि मालगुजारी के दौरान आवेदक के पूर्वज स्वर्गीय छबलाल जती को भूतपूर्व

स्वर्गीय छबलाल जती को भूतपूर्व मालगुजार सिंघई दालचन्द द्वारा 150/–रूपये में विक्रय कर दी गयी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् छबलाल के पुत्र त्रिलोक चन्द्र जती का बतौर कब्जेदार के रूप में दर्ज रहा। वर्तमान में त्रिलोक चन्द्र के पुत्र अरूण जती उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार विगत 70 वर्षो से उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक तथा उसके पूर्वजों का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। म0प्र0 भू–राजस्व संता 1954 (पुरानी संहिता) के लागू होने तक उक्त भूमि छोटा घास के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है तत्समय के प्रावधानों के आधार पर मालगुजार को घास मद की भूमि विक्रय करने का अधिकार था। उसी आधार पर आवेदक के पूर्वजों द्वारा भूमि क्रय की गयी थी, ऐसी स्थिति में नवीन संहिता लागू होने के पूर्व से ही आवेदक वर्ष 1946 से काबिज है, इसलिए धारा 185 के अन्तर्गत मालगुजार द्वारा भूमि को पुर्नग्रहण हेतु निर्धारित अवधि में कोई कार्यवाही नहीं करने से आवेदक के पूर्वजों को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकार म0प्र0 स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45(3) प्रत्यक्षता लागू होने से वेष्ठन दिनांक से भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वजों को भूमिस्वामी के रूप में दर्ज न कर वर्ष 2003 में प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में से आवेदक के पूर्वजो का नाम हटा लिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाकर राजस्व

अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि वर्तमान प्रकरण में विधिवत जाँच की जाकर जो आदेश पारित किया गया है। वह अपने स्थान पर विधिवत होने से स्थिर रखे जाने और वर्तमान आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6– उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के पूर्वजों को मालगुजार सिंघई दालचन्द द्वारा ग्राम मझौली वर्तमान प.ह.नं.49/21 खसरा नं. 364/1 (क) रकवा 137×66 वर्गफुट जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वज छबलाल जती पिता भागीरथ चौधरी के नाम से कब्जेदार के रूप में दर्ज रही है। उक्त भूमि मालगुजारी के दौरान आवेदक के पूर्वज स्वर्गीय छबलाल जती को भूतपूर्व मालगुजार सिंघई दालचन्द द्वारा 150/–रूपये में विक्रय कर दी गयी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् छबलाल के पुत्र त्रिलोक चन्द्र जती का बतौर कब्जेदार के रूप में दर्ज रहा। वर्तमान में त्रिलोक चन्द्र के पुत्र अरूण जती उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार विगत 70 वर्षो से उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक तथा उसके पूर्वजों का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। म0प्र0 भू–राजस्व संता 1954 (पुरानी संहिता) के

लागू होने तक उक्त भूमि छोटा घास के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है तत्समय के प्रावधानों के आधार पर मालगुजार को घास मद की भूमि विक्रय करने का अधिकार था। उसी आधार पर आवेदक के पूर्वजों द्वारा भूमि क्रय की गयी थीं, ऐसी स्थिति में नवीन संहिता लागू होने के पूर्व से ही आवेदक वर्ष 1946 से काबिंज है, इसलिए धारा 185 के अन्तर्गत मालगुजार द्वारा भूमि को पुर्नग्रहण हेतु निर्धारित अवधि में कोई कार्यवाही नहीं करने से आवेदक के पूर्वजों को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमिस्वामी अधिकार म0प्र0 स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45(3) प्रत्यक्षता लागू होने से वेष्ठन दिनांक से भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु तहसीलदार मझौली द्वारा वर्ष 2003 में उक्त प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों से आवेदक का नाम हटा दिया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1UHVII/5 of 1950-51 के रूप में दर्ज किया जाकर प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 23.07.1952 पर ध्यान दिये बगैर आदेश पारित किया है। जबकि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश वर्तमान संहिता लागू होने के पूर्व का है। जिस पर ध्यान दिये बिना आलौच्य आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के संबंध में था, जबकि

उनके द्वारा आवेदन का गलत विश्लेषण किया जाकर आवेदन को पट्टे के संबंध में माना है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों का गलत विश्लेषण होने से पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के पूर्वजों का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1946 से तथा नवीन संहिता में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि नवीन संहिता लागू होने के पूर्व जिस व्यक्ति का भूमि पर कब्जा था, उसे उसी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा आवेदक की ओर से उठाये गये बिन्दुओं पर निष्कर्ष नहीं दिये गये है क्योंकि तत्कालीन मालगुजार द्वारा निष्पादित मालगुजारी पट्टा दिनांक 24.07.1946 विचारण में नहीं लिया गया तथा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 23.07.1952 को अनदेखा किया है। जबकि पूर्व मालगुजार द्वारा निष्पादित दिनांक 24.07.1946 के मालगुजारी पट्टे के आधार विवादित भूमि में आवेदक एवं उसके पूर्वजों को विधिवत स्वत्व अर्जित हो गये है, ऐसी स्थिति में वह राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने का पात्र है। इस संबंध में 1989 आर.एन. 148 व्याख्या दी गयी है कि भूतपूर्व स्वत्वधारी को तालाब व्यवस्थापित इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, ऐसा आदेश अंतिम हो गया एवं म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 251 के अधीन पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में आबद्धकर है। विवादित भूमि आवेदक के दादा छबलाल जती को मालगुजार दालचन्द जैन ने 150/–रूपये नकद लेकर दिनांक 24.07.1946 को पट्टे/विक्रय कर दी गयी थी। जिसके आधार पर वे विवादित भूमि पर

मकान बनाकर लगातार वर्तमान दिनांक तक छबलाल एवं उसके मकान उनके पुत्र त्रिलोकचन्द तथा वर्तमान में त्रिलोकचन्द का पुत्र आवेदक बतौर भूमिस्वामी एवं मालिक काबिज मकान बनाकर निवास कर रहा है। इस संबंध में तत्कालीन ग्राम पंचायत मझोली के सरपंच रामचरण एवं तत्कालीन पटवारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिहौरा के समक्ष शिकायत की गयी थी, जिसमें नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन आहुत कर आदेश दिनांक 23.07.1952 में अवधारित किया गया है कि मालगुजार द्वारा जारी पट्टे के आधार पर आवेदक के दादा छबलाल को विवादित भूमि में विधिवत स्वत्व प्राप्त हैं। उक्त आदेश विधिवत सक्षम अधिकारिता के तहत पारित किया गया आदेश है। इसके विरुद्ध अपील अथवा पुनरीक्षण किसी भी न्यायालय में नहीं किया गया है। इस प्रकार आदेश अंतिम हो गया है जो पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) का प्रभाव रखता है। उपरोक्त स्थिति पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये है, वह विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 536/बी–121/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2016 एवं अपर कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 17बी–121/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 04.02.2006 एवं अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 2553/बी–121

त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाते है एवं प्रश्नाधीन भूमि मौजा मझौली रा0नि0 मण्डल मझौली तहसील मझौली, जिला जबलपुर स्थित भूमि प.ह. नं.49/21 वर्तमान खसरा नं.364/1(क) रकबा 0.128 है0 भूमि के भाग में से 137×66 = 9042 वर्गफुट भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम बतौर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मझौली को दिये जाते है तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त करें इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य